राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 150वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 150वीं बैठक दिनांक 26/06/2023 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री अरूण प्रसाद पी., सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 149वीं बैठक दिनांक 21/06/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 149वीं बैठक दिनांक 21/06/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 464वीं बैठक दिनांक 11/06/2023 की अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं/माईनिंग/गौण खनिजों संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स ईमदादी रेजिन्स (पार्टनर– श्री सब्बीर हुसैन जावर), तेंदुआ इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, ग्राम–तेंदुआ, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2369)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/416217/2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा तेंदुआ इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, ग्राम–तेंदुआ, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 329/2 एवं 324/2, कुल क्षेत्रफल–0.28 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् रेजिन एवं ड्रायर्स मिल क्षमता 2,000 टन प्रतिवर्ष से 3,800 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। विस्तार हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 2.189 करोड़ होगा एवं परियोजना का कुल विनियोग 5.088 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एम.आर. देवांगन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना हेतु कुल क्षेत्रफल 1.534 हेक्टेयर के स्थान पर त्रुटिवश 0.28 हेक्टेयर का उल्लेख करते हुए परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने के कारण से ऑनलाईन आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुन: आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स ख्याति इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जारवा–हीरापुर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2361)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/424838/2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–जारवा–हीरापुर, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 397, 394, 398, 399, 431/3, 431/7, 434/2, 433, 434/1–6, 434 एवं 434/16, कुल क्षेत्रफल–2.456 हेक्टेयर, रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (सभी प्रकार के स्टील आईटम्स एण्ड सेक्शन, एंगल, राउण्ड, फ्लेट्स, चैनल्स, ज्वाइंट्स, स्क्वेयर्स, सी.टी.डी. बार्स आदि)–60,000 टन प्रतिवर्ष एवं फेब्रिकेशन ऑफ टॉवर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स, सब स्टेशन एण्ड रेल्वे स्ट्रक्चर्स एण्ड पार्ट्स – 18,000 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 8 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश कुमार पोरवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (सभी प्रकार के स्टील आईटम्स एण्ड सेक्शन, एंगल, राउण्ड, फ्लेट्स, पैनल्स, ज्वाइंट्स, स्क्वेयर्स, सी.टी.डी. बार्स आदि)–60,000 टन प्रतिवर्ष एवं फेब्रिकेशन ऑफ टॉवर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स, सब स्टेशन एण्ड रेल्वे स्ट्रक्चर्स एण्ड पार्ट्स – 18,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 09/07/2018 को जारी की गई। जिसकी वैधता दिनांक 31/07/2023 तक है।

- पूर्व में जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी जल एवं वायु संचालक सम्मति के पालन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में रोलिंग मिल हेतु सम्मति वर्ष 2005 में प्राप्त की गई थी, जिसमें ईंधन के रूप में फर्नेस ऑइल का उपयोग किया जाना बताया गया है। तत्पश्चात् एम.एस. पाईप फेब्रिकेशन हेतु सम्मति वर्ष 2009 में प्राप्त की गई थी। स्थापित रोलिंग मिल में ईंधन के रूप में फर्नेस ऑइल इसके स्थान पर कोल गेसिफायर हेतु संसोधित सम्मति वर्ष 2012 में प्राप्त की गई। समिति का मत है कि उपरोक्त सम्मति की प्रति ई.आई.ए. के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी जरवाय 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम शहर रायपुर 5 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 5.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 19 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.3 कि.मी. एवं खारून नदी 3.8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज संबंधी विवरण** :– पूर्व में लीज श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम पर थी। तत्पश्चात् दिनांक 10/01/2008 को लीज श्री मेसर्स ख्याति इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित की गई। लीज एग्रीमेण्ट की प्रति प्रस्तुत कि गई है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (SQM)
1.	Rolling Mill Shed Area	4,175.20
2.	Raw Material Area	1,350.80
3.	Finished Goods Area	1,228.00
4.	Fabrication Shed Area	1,535.00
5.	Coal Yard Area	708.45
6.	Parking Area	962.40
7.	Neutralization Tank Area	1,426.24

8.	Green Belt Area	7,417.12
9.	Office Area	160.00
10.	Road Area	4,665.40
11.	Open Area	911.30
Total		24,559.91

5. रॉ–मटेरियल –

Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
Billets/ Ingots	63,000	Open Market	By Road

6. मटेरियल बेलेन्स:–

INPUT	
Material	**TPA**
Billets	63,000
OUTPUT	
Re-rolled steels product	60,000
Mill Scale	1600
End Cutting	1400

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 60,000 TPA
S. No.	**Particular**	**Proposed**
1.	Unit	Regularization of Fabrication Mill
2.	Products	Fabrication Products – 18,000 TPA

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु उच्च दक्षता का बैट स्क्रबर लगाया गया है एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिक्यूलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – रोलिंग मिल से मिल स्केल– 1,600 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग – 1,400 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही यूज्ड ऑयल 0.2 किलोलीटर प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसका उपयोग मशीनों में लुब्रीकेन्ट के लिए किया जाता है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्त्रोत –परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 28 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 28 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की

जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 30 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.81 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,050 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग परिसर के भीतर 200 नग पौधे रोपित किये गए है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में 10/05/2023 को सूचना दी गई।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार " **The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.**

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan alongwith KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit all the air and water consent copy issued by Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

v. Project proponent shall submit the coal consumption details at the time consent issued by board and as per the applied proposal.

vi. Project proponent shall submit coal gasifier capacity at the at the time consent issued by board and as per the applied proposal.

vii. Project proponent shall submit the details of waste water generated from the fabrication unit during acid treatment, water washing, galvanizing etc. Project proponent shall also submit the waste water treatment facility.

viii. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the fabrication unit.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xiii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/08/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

ii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.

iii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

iv. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station, depicted on Topo Sheet of Survey of India.

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

3. **मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) (प्रो.– श्रीमती कुसुमलता साहू), ग्राम–बजावण्ड, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1858)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 257839/2022, दिनांक 04/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बजावण्ड, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 194, कुल क्षेत्रफल–0.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–17,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओंकार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बजावण्ड का दिनांक 26/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 950/खनिज/उ.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 09/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 303–बी/खनिज/ख.लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 25/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.12 हेक्टेयर है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 303–बी/खनिज/ख.लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, नरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्रीमती कुसुमलता साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3036/खनिज/ख.लि.3/रिवर्स ऑक्शन (रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–बजावण्ड 1.26 कि.मी., एवं स्कूल ग्राम–बजावण्ड 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.63 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 366 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 23 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 17,600 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 1 गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत पंचनामा में रेत की गहराई 2 मीटर बताया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई कितनी है? अतः रेत की वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर पंचनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 10/02/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–1) एवं मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् सी.ई.आर. राशि का व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detial Project Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट पर कुल 60 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,200 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रुपये, खाद के लिए राशि 450 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,04,960 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,24,610 रुपये एवं आगामी 2 वर्ष हेतु कुल राशि 3,68,552 रुपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की अधिकतम सीमा (Maximum Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे (River Bank) वृक्षारोपण किया जाए।

18. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।
6. मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–1) एवं मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् सी.ई.आर. राशि का व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detial Project Report) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 04/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) परन्तुक के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान**

करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बस्तर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि खनिज विभाग द्वारा रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 02 वर्ष की स्वीकृति हेतु एल.ओ.आई जारी किया गया है।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जिला–जगदलपुर के ज्ञापन क्र. /क.ल.अ./90 जगदलपुर, दिनांक 09/01/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।

3. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की औसत लंबाई 252 मीटर है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–1) एवं मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) का सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु संयुक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby, Village- Bajawand	
			Pavitra Van Nirman	5.72
			Total	5.72

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 750 नग पौधों के लिए राशि 27,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,34,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,53,000 रूपये तथा द्वितीय वर्ष में कुल राशि 2,19,300 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार 2 वर्षों में कुल राशि 5,72,300 रूपये व्यय होगा, जिसमें से आवेदित खदान द्वारा व्यक्तिगत रूप से राशि 2,86,150 रूपये व्यय किया जाएगा। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत बजावण्ड के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 652, क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण का रख–रखाव आवेदित खदान द्वारा आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित किया जाए।

8. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। भसकली नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–बजावण्ड) का रकबा 0.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) (प्रो.– श्रीमती कुसुमलता साहू), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 194, ग्राम–बजावण्ड, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्रफल 0.88 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 8,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

8. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) (प्रो.– श्रीमती कुसुमलता साहू) को पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि** हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर

जानकारी/दस्तावेज को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स एफ–1, रातामाटी सेण्ड क्वॉरी (प्रो.– श्री सुभाष कुमार गुप्ता), ग्राम–रातामाटी, तहसील व जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2083)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 275383/2022, दिनांक 01/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–रातामाटी, तहसील व जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन लावा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–39,120 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष कुमार गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रातामाटी का दिनांक 11/07/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित / सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1243 / ख.लि.–2 / 2022 रायगढ़, दिनांक 24 / 05 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 49 / खनि.शा. / 2022 जशपुर, दिनांक 05 / 05 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 49 / खनि.शा. / 2022 जशपुर, दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री सुभाष कुमार गुप्ता के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 530 / गौण खनिज / नीलामी / 2022 जशपुर, दिनांक 22 / 02 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 6235 / खनि 02 / रेत (रुल 7) / न.क्र. 38 / 1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 / 11 / 2022 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 6 माह (अर्थात् दिनांक 20 / 02 / 2023) हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रं. / मा.वि. / 2021 / 320 जशपुर, दिनांक 23 / 01 / 2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रातामाटी 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–रातामाटी 2 कि.मी. एवं अस्पताल जशपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के डाउनस्ट्रीम में 450 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 390 मीटर, न्यूनतम 364 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 58 मीटर, न्यूनतम 48 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 22

मीटर, न्यूनतम 9 मीटर है, जबकि नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 39,120 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत पंचनामा को खनि निरीक्षक द्वारा (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 09/03/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 9 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी (जो भी अधिक हो) के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 440 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.956 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby, Village- Ratamati	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	2.98

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 53,000 रूपये, इस

प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,98,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत रातामाटी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 11/2, क्षेत्रफल 6.071 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तुत पंचनामा को खनि निरीक्षक द्वारा (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी तट एवं पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा में खनि निरीक्षक से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया गया है।

2. ग्राम–रातामाटी के अंतर्गत नदी के पाट के दोनो तरफ बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के पाट में 1,000 पौधों को रोपण एवं पहुंच मार्ग के दोनों तरफ 750 पौधों का रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,750 नग पौधों के लिए राशि 35,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये एवं साईन बोर्ड के लिए 5,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,53,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,22,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. नदी तट एवं पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

7. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। लावा नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–रातामाटी) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स एफ–1, रातामाटी सेण्ड क्वॉरी (प्रो.– श्री सुभाष कुमार गुप्ता), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–रातामाटी, तहसील व जिला–जशपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 440 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.956 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 19,560 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स एक–1, रातामाटी सोन्ड क्वॉरी (प्रो.– श्री सुभाष कुमार गुप्ता) को पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु** दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. मेसर्स वी.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1254)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 52327/2020, दिनांक 13/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 296078/2022, दिनांक 29/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 359, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित था। वर्तमान में **स्थल परिवर्तन कर** परियोजना ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 359/2, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। परियोजना के अंतर्गत इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा **के स्थान पर** अल्का–थर्म कंट्रोल्ड एयर ऑक्सल फायर्ड क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा किये जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन के लिए आवेदन किया गया है। शेष ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर/बैच एवं शेडर क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा में कोई भी परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 956, दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर/बैच एवं शेडर क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा हेतु जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन मलिक, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स इन्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक एन्ड इंजीनियर्स प्रा.लि. की ओर से श्री धवल नायक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रारी टी.ओ.आर. में निम्नानुसार संशोधन चाहा गया है:–

Sr. No.	Amendment proposed in	Previously Proposed	After proposed amendment
1.	Location of Plant	Part of Khasra Number 359, (Total 1 Acre), Village: Barbaspur, District: Korba, Chhattisgarh	Part of Khasra Number 359/2, (Total 1 Acre), Village: Barbaspur, District: Korba, Chhattisgarh
2.	Type of Incinerator	Induction Plasma Pyrolysis **(Electricity based)** (100 Kg/Hr)	"ALFA-THERM" Controlled Air **Oil Fired (LDO)** (100 Kg/Hr)
3.	Total Fuel (LDO) requirement	For DG Set (150 KVA): 20 Liters/Hr	For DG Set (100 KVA): 15 Liters/Hr
		For Incinerator (100 Kg/Hr): 0 Liters/Hr	For Incinerator (100 Kg/Hr): 20 Liters/Hr
4.	Electricity Requirement	150 KVA (120 KW)	100 KVA (80 KW)
5.	Capacity of D.G. set	150 KVA	100 KVA
6.	Stack Height of D.G. set	12 meter	4 meter

2. भूमि संबंधी दस्तावेज –

- पूर्व में कार्यालय नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा पत्र दिनांक 05/06/2021 के माध्यम से भूमि खसरा क्रमांक 359 में से रकबा 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) भूमि को जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए इंसीनिरेटर स्थापना हेतु भूमि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा को आबंटन किया गया था। लीज अनुबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा एवं वी.एम. टेक्नो सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, डॉयरेक्टर–श्री विपिन मलिक के मध्य किया गया है। यह अनुबंध 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/10/2020 से दिनांक 30/09/2050 तक की अवधि हेतु वैध है।
- वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1317/वाचक/अति.तह./2022 कोरबा, दिनांक 12/09/2022 द्वारा 359/2 रकबा 29.526 में से रकबा 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) भूमि के सीमांकन हेतु जीव प्रतिवेदन, नजरी नक्शा एवं खसरा पंचशाला का पी–2 की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- समिति का मत है कि कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा को आबंटित भूमि संबंधी दस्तावेज तथा भूमि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा से परियोजना प्रस्तावक को आबंटित भूमि/लीज अनुबंध संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	As Per New Layout		As Per Old Layout	
		Area (m^2)	Area (%)	Area (m^2)	Area (%)
1.	Incinerator Plant Area	720	17.7	208	5.1
2.	Shredder Room and sterilization area	84	2	108	2.6
3.	Collection & Segregation area	70	1.7	120	3
4.	Yellow Waste Storage Area	42	1	28	0.7
5.	Red Waste Storage Area	42	1	28	0.7
6.	Other Waste Storage Area	42	1	28	0.7
7.	Hazardous Waste Storage room	58	1.4	54	1.3
8.	Treated Waste room	42	1	80	2
9.	E.T.P.	70	1.7	56	1.3
10.	Vehicle wash	84	2.1	54	1.6
11.	parking area	54	1.3	165	4
12.	Admin Building	140	3.4	65	1.7
13.	Green Belt	1454.4	35.8	1,340	33
14.	Roads Area and open space area and other area	1,161.5	28.9	1,718	42.3
	Total Area	**4,062**	**100**	**4,062**	**100**

4. ट्रीटमेंट फेसीलिटी –

- **Brief Specifications Of Alfa-Therm Controlled Air Oil Fired Incinerator**

S.No.	Specifications	
1.	Type of Incinerator	"ALFA-THERM" controlled air Oil Fired Incinerator Model BMW-250
2.	Type of Waste	Biomedical Waste
3.	Burning Capacity	100 Kg/Hr
4.	Auxiliary Fuel	Diesel
5.	Type of Burner Operation	Monoblock/Split type fully automatic burners
6.	Temperature 1. Primary Chamber 2. Secondary Chamber	 800 ± 50°C 1050 ± 50°C
	Primary Chamber	
1.	Type	Static Solid Hearth
2.	Material of Construction	Mild Steel, 12-16 mm thick
3.	Refractory thickness	300 mm thick
4.	Temperature resistance	1400°C
5.	Insulation thickness	115 mm thick
6.	Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
7.	Waste Charging	Automatic through Hydraulic Ram Pusher.
8.	Ash Removal	Manual

	Secondary Chamber	
1.	Type	Static Furnace connected to primary furnace
2.	Material of Construction	Mild Steel, 10 mm thk
3.	Refractory thickness	115 mm Thk insulation brick and 115 mm x 2 layer of fire brick.
4.	Material	Refractory bricks confirming to IS-8
5.	Temperature resistance	1200°C
6.	Insulation thickness	115 mm
7.	Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
8.	Residence time for flue gases	2 seconds
Venturi Scrubber-		
1.	Type	High Pressure Drop Type
2.	Material of Thickness	Stainless Steel 316L, 5mm thick
3.	Refractory Thickness	115 mm thick
4.	Material	Refractory bricks confirming to IS-8
5.	Temperature resistance	78-80°C
6.	Scrubbing Media	Water with 5% Caustic
Packed Bed Scrubber-		
1.	MOC	Mild Steel rubber lined
2.	Water re-circulation pump with motor	Provided
3.	Interconnecting piping	PPR
4.	Packing media	Intalox Saddles/Pall rings
5.	Interconnecting ducting	Mild Steel Rubber lined
6.	Scrubbing Media	Water
I.D. Fan-		
1.	Type	High Pressure Centrifugal type
2.	MOC	Stainless Steel Impeller and Mild Steel Rubber lined casing
3.	Drive	Belt Driven
Combustion Fan-		
1.	Type	Centrifugal
2.	Modulation	Manual damper control
3.	MOC	Mild Steel / SS316
4.	Drive	Direct drive
Burners-		
1.	No. of burners	As per standard design of incinerator
2.	Type	Monoblock fully automatic
3.	Fuel	Diesel
4.	Make	"Alfa-Therm"
Height of chimney 30 m-		
1.	MOC	Mild Steel
2.	Type	Self-supporting
3.	Height	30 m from ground level
4.	Other Standard Accessories	Aviation lamp, lightening arrestor, stack drain, inspection platform, sampling port
5.	Paint	The chimney is painted externally with two coats of heat resistant aluminum paint
6.	Ladder	To be provided

5. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – ALFA-THERM Controlled Air Oil Fired Incinerator में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु गैस क्वेंचर, वेंचुरी स्क्रबर, पेक्ड बेड स्क्रबर, आईडी फैन के साथ एक्टीवेटेड कार्बन कॉलम एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की उंचाई 4 मीटर होगी। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।
6. **वृक्षारोपण की स्थिति** – पूर्व में कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,350 वर्गमीटर (लगभग 33.33 प्रतिशत) में 325 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में संशोधन उपरांत कुल क्षेत्रफल में से 1,454.5 वर्गमीटर (लगभग 35.8 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 169 पौधों के लिए राशि 73,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,91,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,74,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 7,28,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना हेतु पूर्व निर्धारित स्थल खसरा क्रमांक 359 एवं वर्तमान में प्रस्तावित नवीन स्थल खसरा क्रमांक 359/2 के मध्य की दूरी 275 मीटर है। पूर्व निर्धारित स्थल हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 16 अक्टूबर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त तथ्यों/दूरी के दृष्टिगत उक्त बेसलाईन डाटा को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समिति सहमत हुई।
8. हाई टेंशन लाईन गुजरने के कारण Induction Plasma Pyrolysis **(Electricity based)** के स्थान पर "ALFA-THERM" Controlled Air **Oil Fired (LDO)** किया जाना बताया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा को आबंटित भूमि संबंधी दस्तावेज तथा भूमि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा से परियोजना प्रस्तावक को आबंटित भूमि/लीज अनुबंध संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय तहसीलदार कोरबा, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/359/तह./वा./2023 कोरबा, दिनांक 23/02/2023 द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 359/2 में से 1 एकड़ जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लेख किया गया।
2. कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/08/स्व./2023/20332 कोरबा, दिनांक 24/02/2023 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी को तहसीलदार कार्यालय कोरबा से संशोधित खसरा क्रमांक अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लेख किया गया।

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ज्ञापन क्रमांक/एन.एच.एम./बी.एम.डब्लू./2023/2746 कोरबा, दिनांक 24/02/2023 द्वारा मेसर्स वी.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को कार्यालय, नगर पालिक निगम के संदर्भित पत्रानुसार कार्यालय कोरबा से खसरा क्रमांक के प्राप्त दस्तावेज संलग्न कर पत्र प्रेषित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा एवं मेसर्स वी.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गए अनुरोध की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से जारी टी.ओ.आर. में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई:-

1. पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 359, कुल एरिया-1 एकड़ क्षेत्र **के स्थान पर** पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 359/2, कुल एरिया-1 एकड़ क्षेत्र **पढ़ा जाए।**
2. परियोजना के अंतर्गत इंडक्शन प्लाज्मा पायरोलाईसिस क्षमता-100 किलोग्राम/घण्टा **के स्थान पर** अल्फा-थर्म कंट्रोल्ड एयर ऑयल फायर्ड क्षमता-100 किलोग्राम/घण्टा **पढ़ा जाए।**

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 956, दिनांक 27/08/2020 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) में संशोधन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:-

i. **Project Proponent shall submit the NOC from Forest Department mentioning distance between mine lease boundary to Forest boundary.**

ii. **Project Proponent shall submit details of distance of important structure such as water bodies, habitation etc. from the project premises.**

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) में संशोधन जारी किया जाए।

6. **मेसर्स सुनील स्टील्स (ए यूनिट ऑफ सुनील रि-रोलर्स एण्ड स्टील प्रा. लि.), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2166)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 402837/2022, दिनांक 15/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लाट नं. 560(पार्ट) एवं 560बी, कुल क्षेत्रफल – 1.06 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् एम.एस.इंगोट्स (इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 55,000 टन प्रतिवर्ष तथा रि-रोल्ड स्टील क्षमता –

14,000 टन प्रतिवर्ष (रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल) को डिस्मेंटल कर 51,500 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल) हेतु आवेदन किया गया है। डगला विस्तार उपरांत परियोजना की कुल विनियोग 8.3 करोड़ रूपये होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जुगल मदनानी, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी. एण्ड एम. सॉल्यूशन की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा री–रोल्ड प्रोडक्ट 14,000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस. इंगोट्स 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/01/2023 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/06/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

   - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 06/06/2022 के पैरा 4[B(iv)] के अनुसार "**Self-certified Compliance Report for the latest CTO shall be sufficient if the project proponent applies for expansion within a period of one year from the grant/renewal of CTO. If such application is submitted beyond the period of one year from the grant/renewal of CTO, CCR shall be required for the latest CTO.**" उल्लेख है। तदानुसार जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी बिरगांव 390 मीटर, तिलक नगर 500 मीटर, बंद्रा हाई स्कूल 850 मीटर एवं ई.सी.आई.सी. अस्पताल 2.88 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 4.23 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद

विमानपत्तन, माना, रायपुर 19.12 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.49 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.86 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Particular	Area (Sq.Ft)
1.	Rooftop/ buildup area	54,003
2.	Area under road and paved	9,490
3.	Green belt (41%)	47,109
4.	Open area	4,298
	Total	**1,14,900**

4. **भूमि संबंधी विवरण** – सीएसआईडीसी द्वारा प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 12,000 वर्गफीट, प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 68,600 वर्गफीट एवं 560(बी), क्षेत्रफल 34,300 वर्गफीट को मेसर्स सुनील स्टील्स, प्रोपराईटर–सुनील री–रोल्स एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर के नाम से लीज जारी किया गया है। प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 12,000 वर्गफीट, प्लॉट नं. 560(पार्ट) की लीज वैधता दिनांक 20/05/2091 तक, प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 68,600 वर्गफीट की लीज वैधता दिनांक 31/01/2083 तक एवं 560(बी), क्षेत्रफल 34,300 वर्गफीट की वैधता दिनांक 06/11/2100 तक है।

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:–**

Product	Facility	Existing Capacity (TPA)	Proposed Production & Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
MS Ingot/ Billets	Induction Furnace with CCM	(2×7T) 15,000 (MS ingot)	Modification of existing (2×7T) to (2×9T) 40,000 (Induction Furnace with CCM)	55,000 (Induction Furnace with CCM i.e. MS ingot/Billet) (2×9T)
Re-rolled steel product	Re-rolling mill with Billet / Ingot Reheating Furnace	14,000	Complete Dismantle the Re-Heating Furnace	Nil
	Re-rolling mill with online hot charging through Induction Furnace of semi finished steel i.e. MS ingot/ Billet	Nil	51,500	51,500

6. रॉ–मटेरियल :–

Material Balance (In TPA)			
For Induction furnace, CCM and in expansion hot charging rolling			
Name of Raw Material	**Existing**	**Proposed**	**After Proposed Expansion**
Sponge Iron	23,040	35,360	58,400
Scrap	4,400	4,400	8,800
Ferro Alloys	180	420	600
Ingot mould	140	0	Nil
Coal	400	0	Nil
Total	28,160	40,180	67,800

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रि–हीटिंग फर्नेस और इण्डक्शन फर्नेस में वेट स्क्रबर एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखी गई है। पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर है। क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर के साथ सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर होगा। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। रॉ–मटेरियल्स को कवर्ड शेड में स्टोर किया जाएगा।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S.No	Name of waste	Existing (TPA)	Proposed (TPA)	After Proposed Expansion (TPA)
1.	Mill Scale (IF+RM)	425	1,075	1,500
2.	Slag	2,250	6,000	8,250
3.	End cutting and Miss Rolls	425	1,075	1,500
	Total	**3,100**	**8,150**	**11,250**

प्रतिवर्ष 2 किलोलीटर यूज्ड ऑयल या वेस्ट ऑयल उत्पन्न होगा जिसे अधिकृत रिसाइकलर को दिया जाएगा। लीड एसिड बैटरी या ड्राई बैटरी अधिकृत रिसाइकलर को दी जाएगी। इंडक्शन फर्नेस के री–लाइनिंग से उत्पन्न रिफ्रैक्टरी वेस्ट को रिफ्रैक्टरी इकाइयों को रिसाइकिलिंग के लिए दिया जाएगा। इंडक्शन फर्नेस स्लैग को मेटल रिकवरी यूनिट्स को दिया जाएगा। रोलिंग मिल में उत्पन्न मिल स्केल को फेरो एलॉय प्लांट को विक्रय किया जाएगा। अनसोल्ड एण्ड कटिंग/मिस रोल और मिसकास्ट का इंडक्शन फर्नेस में पुनः उपयोग किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 14 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 27 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर

अथॉरिटी से 9.5 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। शेष जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि शेष जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 6,833.7 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 1.9 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9,702 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 6,733 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 11,250 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी

जिसे पुनःउपयोग / विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 3.8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 6 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 47,109 वर्गफीट (41 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों ओर 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् मिक्सन गार्डन / ईकोपार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया जाना बताया गया है। साथ ही उक्त के संबंध में भूमि हेतु सीएसआईडीसी से भी बात की जा रही है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत अथवा सीएसआईडीसी से भूमि प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. शेष जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर 50 प्रतिशत क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत अथवा सीएसआईडीसी से भूमि प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।
5. परिसर के भीतर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल जल की खपत 30 किलोलीटर प्रतिदिन है, जिसमें से सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी से 9.5 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है तथा शेष 14 किलोलीटर की अनुमति सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

2. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 डी.जी. सेट 125 के.वी.ए. तथा 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थित है।

3. प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर 41 प्रतिशत क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण किया जाएगा तथा शेष 11.75 प्रतिशत वृक्षारोपण उद्योग के सामने स्वयं की भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण (आंवला, नीम, करंज, जामुन, अमलतास, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,408 नग पौधों के लिए राशि 1,07,008 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,560 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,53,568 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,11,064 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
830.1	2%	16.6	Following activities at nearby Muktidham, Rawabhata	

			Plantation	16.44
			Total	**16.44**

सी.ई.आर. के अंतर्गत आंवला, नीम, करंज, जामुन, अमलतास, कदम आदि के वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,200 नग पौधों के लिए राशि 2,43,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 24,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,73,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,70,880 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय नगर पालिक निगम, बीरगांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 328/22 क्षेत्रफल 4.047 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। कार्यालय नगर पालिक निगम, बीरगांव के ज्ञापन दिनांक 28/03/2023 को उक्त हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. परिसर के भीतर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स सुनील स्टील्स (ए यूनिट ऑफ सुनील रि–रोलर्स एण्ड स्टील प्रा. लि.), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 560(पार्ट) एवं 560बी, कुल क्षेत्रफल – 1.06 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् एम.एस.इंगॉट्स (इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 55,000 टन प्रतिवर्ष तथा रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 14,000 टन प्रतिवर्ष (रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल) को डिस्मेंटल कर 51,500 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि 16.6 लाख रूपये होता है। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16.44 लाख रूपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि 16.6 लाख रूपये हेतु विस्तृत प्रस्ताव मंगाया जाना आवश्यक है।

2. उद्योग हेतु कुल जल की खपत 30 किलोलीटर प्रतिदिन में से शेष 14 किलोलीटर की अनुमति सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त वॉटर बिल की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्राधिकरण का मत है कि शेष 14 किलोलीटर जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि 16.6 लाख रूपये हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. शेष 14 किलोलीटर जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स पेण्ड्रीतराई डोलोमाईट क्वारी (प्रो.– श्री नटवर लाल ताम्रकार), ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2130ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 288028/2022, दिनांक 16/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 21/3(पार्ट), 21/4 एवं 471(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.32 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नटवर लाल ताम्रकार, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई का दिनांक 18/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक (छ. प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन के,

384 / खनि 02 / मा.प्र.अनुमोदन / न.क्र.06 / 2020(1) नया रायपुर, दिनांक 23 / 01 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3669 ए / खनि.सि.02 / खनिज / 2022 दुर्ग, दिनांक 30 / 01 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 डोलोमाईट खदान, क्षेत्रफल 1.94 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 6 चूना पत्थर खदानें, क्षेत्रफल 5.475 हेक्टेयर स्वीकृत / संचालित है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3669 ए / खनि.सि. 02 / खनिज / 2022 दुर्ग, दिनांक 30 / 01 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री नटवर लाल ताम्रकार के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3226 / खनिज / उ.प. / 2020 दुर्ग, दिनांक 15 / 12 / 2020 द्वारा जारी की गई थी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 44 / 2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27 / 10 / 2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज, 2015 के नियम 42(5) परंतु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक / तक.अधि. / 2020 / 3568 दुर्ग, दिनांक 11 / 09 / 2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पेण्ड्रीतराई 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–पेण्ड्रीतराई 1 कि.मी. एवं अस्पताल अहिवारा 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 6 कि.मी. एवं नहर 50 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,65,500 टन, माईनेबल रिजर्व 1,13,498 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,02,148 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

3,197 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,671 घनमीटर है। जिसमें से 1,203 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 468 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र के कुछ भाग में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8.41 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,500	षष्टम	13,500
द्वितीय	13,500	सप्तम	13,500
तृतीय	13,500	अष्टम	13,500
चतुर्थ	13,500	नवम	5,495
पंचम	13,500		

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 680 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 34,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,13,230 रूपये, खाद के लिए राशि 6,800 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,87,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,41,230 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,40,640 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 4,370 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस एवं प्रस्तावित क्रशर हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1	Following activities at, Village- Kokadi	

			Plantation in approach village road	6.65
			Total	6.65

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 24,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,27,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,63,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,02,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई के आश्रित ग्राम कोकड़ी के पहुंच मार्ग के दोनों ओर, खसरा क्रमांक 272) में वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में एवं लेण्ड यूज पैटर्न में क्रशर की स्थापना के संबंध में उल्लेख नहीं है, परंतु माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना में लीज क्षेत्र में 4,370 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस एवं प्रस्तावित क्रशर हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने का उल्लेख है। अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य प्रतिबंधित क्षेत्र नहर से 100 मीटर की दूरी छोड़कर किये जाने संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से संरक्षित रखे जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन सुनिश्चित करने एवं ऐसे ना किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर की स्थापना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। यदि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर की स्थापना किया जाना है तो क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए एवं माईनिंग प्लान में संशोधन कर रिजर्व की गणना करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में बताया गया कि वर्तमान में लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना नहीं की जाएगी। अनुमोदित माईनिंग प्लान में 4,730 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिस पर पूर्व में क्रशर प्रस्तावित था। वर्तमान में क्रशर की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है तथा उक्त क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।
3. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3669 ए/खनि. लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 डोलोमाईट खदान, क्षेत्रफल 1.94 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर की स्थापना नहीं किया जाएगा तथा क्रशर से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

3. लीज क्षेत्र के भीतर 4,730 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा तथा इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधियां नहीं की जाए। उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन पाये जाने की स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पेण्ड्रीतराई डोलोमाईट क्वारी (प्रो.– श्री नटवर लाल ताम्रकार) को ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 21/3(पार्ट), 21/4 एवं 471(पार्ट) में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.32 हेक्टेयर, क्षमता–13,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/08/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पेण्ड्रीतराई डोलोमाईट

क्वारी (प्रो.– श्री नटवर लाल ताम्रकार) को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

1. खदान के संचालन के समय निकटतम नहर को किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही परियोजना प्रस्तावक की रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मौसमी नाला एवं अन्य निकटतम जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उचित कदम उठाया जाए तथा उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. **Project Proponent shall submit details of mitigation measures to reduce impact of mining on Public Service Centers such as schools, hospital, health centers etc.**

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स तिरूपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर.– श्री प्रमोद अग्रवाल), ग्राम–हथनेवरा, तहसील–बांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2133)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 82435/ 2022, दिनांक 18/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हथनेवरा, तहसील–बांपा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 497, 502, 506 एवं अन्य 35, कुल क्षेत्रफल–4.616 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 22.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रमोद अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनीर इन्वायरो लेबोरेटरी एण्ड कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल वॉशरी स्थापना हेतु निम्न 3 स्थलों का अध्ययन किया गया:–

   I. ग्राम–पदिया, जियोग्राफिक को–ऑर्डिनेट 21° 26'58.91''N , 81° 56'47.20'' E
   II. ग्राम–हथनेवरा,जियोग्राफिक को–ऑर्डिनेट 21° 59'4.26''N , 82° 41'43.99'' E
   III. ग्राम–अटर्रा, जियोग्राफिक को–ऑर्डिनेट 21° 56'54.03''N , 81° 59'21.41'' E

   उक्त स्थलों का विभिन्न तथ्यों/बिन्दुओं पर अध्ययन उपरांत प्रस्तावित स्थल (ग्राम–हथनेवरा, तहसील–बांपा, जिला–जांजगीर–चांपा) को उपयुक्त पाये जाने पर चयनित किया गया है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–हथनेवरा 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन चांपा 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिमानपत्तन, बिलासपुर 60 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 1.9 कि.मी. एवं जरमरिया नाला 500 मीटर दूर है। नहर परिसर से लगी हुई है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स तिरुपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर (11.406 एकड़) है, जिसमें बिल्टअप का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर, रॉ–कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर, वाश्ड–कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर, रिजेक्ट्स स्टोरेज का क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर अन्य फेसिलिटी का क्षेत्रफल 1.31 हेक्टेयर एवं ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 1.54 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कर संशोधित लेंड ऐरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से बॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बॉशरी से वाश्ड कोल का परिवहन कस्टमर के साथ हुये एम.ओ.यू. के आधार पर सड़क मार्ग या रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। समिति का मत है कि अधिकतम वाश्ड कोल का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट में समावेश किया जाए।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। क्रशर के चारों ओर जल छिड़काव हेतु आटोमाईजर नोजल अरेंजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। परिसर के चारों ओर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – बॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस–पास पावर प्लांटों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 210 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 200 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया साइक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपार्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.54 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 12 से 30 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कर संशोधित ले–आउट प्लान ई.आई.ए. रिपार्ट में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेस लाईन डेटा कलेक्शन का कार्य 20 मार्च 2022 से 20 जून 2022 तक किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई

सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project proponent shall submit details of STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

ii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

iv. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authourity for use of ground water.

v. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 15 to 30m wide green belt all along the pheriphery of the project area & make green belt of atleast 50% of the total area.

vi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the premises as per guidelines issued from time to time and minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit proposal regarding transportation of most of the raw coal, clean coal and reject through rail as far as possible.

viii. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding national highway.

ix. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding nearest canal / water bodies.

x. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including adjacent canal.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर है जिसमें से कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना है एवं कोल वॉशरी में जल की आवश्यकता अत्यधिक होने के कारण रेन वॉटर पॉन्ड के निर्माण हेतु भी पर्याप्त जगह की आवश्यकता होगी तथा कोल वॉशरी क्षेत्र में पार्किंग एरिया, स्टोरेज एरिया, ई.टी.पी. एरिया एवं अन्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कोल वॉशरी की क्षमता 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर कम है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** प्राधिकरण द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टीकरण के संबंध में जानकारी / दस्तावेज एवं संशोधित ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए, ताकि समिति द्वारा अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में बताया गया कि वॉशरी क्षेत्रफल 2.13 एकड़, रॉ–कोल, वास्क कोल एवं रिजेक्ट स्टोरेज क्षेत्रफल – 2.5 एकड़, वृक्षारोपण क्षेत्रफल – 4.48 एकड़ (40.47 प्रतिशत), आंतरिक मार्ग एवं स्टाफ क्वाटर क्षेत्रफल – 1.57 एकड़ एवं अन्य 0.35 एकड़ प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्लांट परिसर के 5 कि.मी. के दायरे में अतिरिक्त 10 प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु 1.2 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ले–आउट प्लान सहित प्रस्तुत लेण्ड एरिया स्टेटमेंट अनुसार:–

S. No.	Land use	Area in Acre
1.	Washery Plant	2.13
2.	Raw Coal, Stock Yard, Clean Coal, Middling & reject	2.54
3.	Other facility (Internal roads, WTP, Staff Quater)	1.57
4.	Green Belt Area	4.48 (40.47% of the Total Area)
5.	Vacant land	0.35
	Total	**11.07**

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. पूर्व में समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर सशर्त टी.ओ.आर. जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

2. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 15 to 30m wide green belt all along the pheriphery of the project area & make green belt of atleast 50% of the total area. के स्थान पर Project Proponent shall submit a details of plantation accordingly as per the given proposal at the time final EIA presentation पढ़ा जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया–

i. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to address the issue/suggestion raised during Public Hearing.

ii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

iii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

9. मेसर्स धामनसरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री वैभव सलूजा), ग्राम–धामनसरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1873)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 245604/2021, दिनांक 17/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–धामनसरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 79, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता – 83,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वैभव सलूजा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान फार्म–1, फार्म–1एम, प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं मॉडिफाईड क्वारी प्लान में रेत उत्खनन क्षमता 63,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है तथा फार्म–2 एवं क्वारी प्लान में रेत उत्खनन क्षमता 98,000 घनमीटर (1,66,600 टन) प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के अपस्ट्रीम में एनीकट स्थित होने के कारण न्यूनतम 500 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन क्षमता 98,000 घनमीटर (1,66,600 टन) प्रतिवर्ष के स्थान पर क्षमता 63,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त में सुधार कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। रेत उत्खनन क्षमता हेतु फार्म–2 में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 131/ख.लि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन निरंक है।
4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धामनसरा का दिनांक 05/12/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
6. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5969/खनि 02/रेत/संशो.उ.यो.अनु./न.क्र. 03/2020 नया रायपुर, दिनांक 18/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
7. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 132/ख.लि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
8. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 132/ख.लि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

9. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री वैभव सलुजा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4007/ख.नि. 06/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 110/2021 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 10/01/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, आशय पत्र की अवधि में पारित आदेश दिनांक से पर्यावरण सम्मति प्राप्ति उपरान्त अनुबंध निष्पादन किये जाने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए, प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 10–1/2021/1416 राजनांदगांव, दिनांक 14/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 16.07 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

12. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धामनसरा 850 मीटर, स्कूल ग्राम–धामनसरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. तक पुल स्थित नहीं है। खदान के अपस्ट्रीम में एनीकट 290 मीटर की दूरी पर स्थित है।

13. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

14. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 310 मीटर, न्यूनतम 205 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 545 मीटर एवं खनन स्थल की औसत चौड़ाई – 90 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 25 मीटर है।

15. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई–3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई –2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/03/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि उक्त लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby, Village- Dhamansara	
			Plantation at river bank near allotted area (600 meter) and the approach road (300 meter)	1.03
			Total	1.03

18. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 31,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,03,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अधीन नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान से एनीकट 290 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार एनीकट अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से एनीकट की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ से खदान से 210 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार 28,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एनीकट की तरफ से खदान में 210 मीटर की लंबाई को गैर माईनिंग क्षेत्र रखने के पश्चात् नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 34 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर है। समिति का मत है कि नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान (ग्रामनसरा सेण्ड माईन) एवं जंगलेसर सेण्ड माईन के मध्य 700 मीटर की दूरी है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन क्षमता हेतु संशोधित फार्म–2 प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल(स्तर)(Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
6. सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन क्षमता हेतु फार्म–2 में संशोधन कराये जाने की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में से खदान के अपस्ट्रीम में एनीकट स्थित होने के कारण न्यूनतम 500 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में करने के कारण रेत उत्खनन क्षमता 98,000 घनमीटर (1,66,600 टन) प्रतिवर्ष के स्थान पर क्षमता 63,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष होगा। जिसका उल्लेख संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।
2. प्रस्तावित खदान क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में खनन क्षेत्र की औसत लंबाई 545 मीटर, गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन क्षेत्र की औसत लंबाई 313 मीटर एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में खनन क्षेत्र की औसत चौड़ाई 90

मीटर, गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन क्षेत्र की औसत चौड़ाई 68 मीटर है। समिति का मत है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

4. नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक को सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया था परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रस्ताव के स्थान पर पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. (C.E.R.) के प्रस्ताव (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर वृक्षारोपण) का ही निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby, Village- Dhamansara	
			Plantation at river bank near alotted area (600 meter) and the approach road (200 meter)	2.18
			Total	2.18

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (जामुन, नीम एवं आम) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 14,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये आदि इस प्रकार कुल राशि 63,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,55,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अधीन नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किया जाना

आवश्यक है। अतः सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 106 मीटर, न्यूनतम 37 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 389 मीटर, न्यूनतम 207 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 26 मीटर है।
2. सी.ई.आर. के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Govt. Higher Secondary School Village-Dhamansara	
			Rain Water Harvesting	0.40
			Running Water Arragement in Toilets	0.35
			Plantation in the School premises	1.495
			Total	**2.245**

सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए प्रथम वर्ष में राशि 43,000 रुपये तथा आगामी वर्ष हेतु राशि 1,06,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–धामनसरा) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त

2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स धामनसरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री वैभव सलूजा), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 79, ग्राम–धामनसरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से नैर माईनिंग क्षेत्र 28,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 180वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स धामनसरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री वैभव सलूजा) को पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु** दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम–हाहालद्दी, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1927)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 12040/2022, दिनांक 07/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हाहालद्दी, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर स्थित फॉरेस्ट रेंज दुर्गुकोंडल, कुल क्षेत्रफल – 66 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन (मुख्य खनिज) एलॉंग विथ क्रशर एण्ड स्क्रीन प्लान क्षमता – 0.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं न्यू आयरन ओर बेनिफिसिएशन (ड्राई/ वेट) क्षमता – 0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष के टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 60 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, वाइस प्रेसीडेंट उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, वाइस प्रेसीडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में आयरन ओर माईन (मुख्य खनिज), फॉरेस्ट लेण्ड, कुल क्षेत्रफल – 66 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 0.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/01/2008 को जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर के ज्ञापन क्रमांक/124/खनिज/2022–23 कांकेर, दिनांक 13/05/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (मि.टन)
2017–18	निरंक
2018–19	79,000
2019–20	79,300
2020–21	94,500
2021–22	2,72,400
2022–23 (माह अप्रैल)	14,500

2. छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक एफ–5–50/06/10–2 रायपुर, दिनांक 21/07/2009 से जारी

अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार "लौह अयस्क खनिज उत्खनन के गैर वनिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान करता है।" का उल्लेख है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत हानपत्तरी का दिनांक 12/09/2006, ग्राम पंचायत खुटगांव का दिनांक 16/09/2006 एवं ग्राम पंचायत चिहरो का दिनांक 12/09/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – रिव्यु ऑफ माईनिंग प्लान एंड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/कांकेर/लौह/खपो–1265/2020 रायपुर, दिनांक 20/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), से आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं? होने के संबंध में जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग (प्रा.) लिमिटेड के नाम पर है। छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–92/2003/12 नया रायपुर, दिनांक 05/01/2017 द्वारा मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्रा. लि. के पक्ष में जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, वनमण्डल पूर्व भानुप्रतापपुर, वनरेंज दुर्गकोन्दुल स्थित वन कक्ष क्रमांक 355 से 358 के कुल रकबा 215 हेक्टेयर क्षेत्र पर 50 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है तथा स्वीकृत माईनिंग लीज क्षेत्र 215 हेक्टेयर में से 66 हेक्टेयर (सेफ्टी जोन एरिया सहित) क्षेत्र का खनिपट्टा अनुबंध (लीज डीड) का निष्पादन किया गया है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही लीज क्षेत्र से निकटतम अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव जोन की दूरी का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दुर्गुकोंडल 6.15 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन केवटी 3.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है। खांडी नदी 430 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 61,80,548 टन एवं माईनेबल रिजर्व 52,93,377 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.5 हेक्टेयर (2,87,793 टन) है। ओपन कास्ट फुली मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 20 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ड्रिलिंग, हाईड्रोलिक एक्सवेटर एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2021–22	2,99,103
2022–23	5,46,484
2023–24	7,49,716
2024–25	8,76,264
2025–26	9,02,296

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 80 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 40 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 31/01/2022 से 30/01/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। शेष जल की आपूर्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 6,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,200 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1,250 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/12/2021 तक किया गया।

17. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. समिति का मत है कि संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उक्त खनन कार्य से स्टेज–1 तथा स्टेज–2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं हुआ है ?

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्टेज–1 एवं स्टेज–2 क्लीयरेंस आदेश की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वन्य प्राणी संरक्षण योजना (अनुमोदित) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. क्रशर की क्षमता, क्षेत्रफल आदि संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्रशर से होने वाले फिजिटिव डस्ट उत्सर्जन को कम करने हेतु अपनाये जाने वाले उपकरणों की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान ले–आउट प्लान (माईनिंग क्षेत्र, क्रशर क्षेत्र, बेनिफिकेशन क्षेत्र, नॉन माईनिंग क्षेत्र, बिल्डिंग/ऑफिस क्षेत्र, सेफ्टी जोन क्षेत्र एवं अन्य घटकों को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये) प्रस्तुत किया जाए। इसी प्रकार क्षमता विस्तार हेतु प्रस्तावित ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की जाए।
7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।
8. संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उक्त खनन कार्य से स्टेज–1 तथा स्टेज–2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं हुआ है?
9. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र, निकटतम अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव जोन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि उनके द्वारा स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्रत्येक 6 माह में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया जाता है। वर्तमान में दिनांक 13/07/2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय को स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की जानकारी दी गई है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्टेज–1 क्लीयरेंस आदेश दिनांक 15/12/2008 एवं स्टेज–2 क्लीयरेंस आदेश दिनांक 06/05/2009 की पठनीय प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार की गई है। समिति का मत है कि उक्त तैयार वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में प्रस्तुत ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र में "स्वीकृत क्षेत्र में खनन से संबंधित एवं उसके संवर्धन से संबंधित जो–जो भी कार्य स्थाई एवं अस्थाई रूप से किया जाएगा" का उल्लेख है।

5. लीज क्षेत्र के भीतर 1.4 हेक्टेयर क्षेत्र में 400 टन प्रतिघंटा क्षमता का क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रशर में फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वॉटर स्प्रीकिलिंग सिस्टम प्रस्तावित है।

6. वर्तमान ले–आउट प्लान (माईनिंग क्षेत्र, क्रशर क्षेत्र, बेनिफिकेशन क्षेत्र, नॉन माईनिंग क्षेत्र, बिल्डिंग/ऑफिस क्षेत्र, सेफ्टी जोन क्षेत्र एवं अन्य घटकों को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये) प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार क्षमता विस्तार हेतु प्रस्तावित ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।

8. वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर द्वारा जारी खनन कार्य से स्टेज–1 तथा स्टेज–2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है बाबत् प्रमाण पत्र वर्ष 2006 का प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में अद्यतन प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र, निकटतम अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव जोन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि उक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर द्वारा जारी खनन कार्य से स्टेज–1 तथा स्टेज–2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है बाबत् अद्यतन प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र, निकटतम अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव जोन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 11/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/1798 भानुप्रतापपुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण योजना को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) द्वारा अनुमोदन किया गया है, अनुमोदन पश्चात् आवेदक संस्थान द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण योजना की लागत राशि 33.00 लाख रूपये कैम्पा मद में जमा की जा चुकि है।

3. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/1798 भानुप्रतापपुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार उप वन मण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्टेज–1 एवं स्टेज–2 के शर्तों का पालन आवेदक संस्थान द्वारा किया गया है। प्रतिवेदन से सहमत होने का लेख किया गया है।

4. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/1798 भानुप्रतापपुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार लीज सीमा आवेदित वन क्षेत्र आर.एफ. 632, 633, 634 एवं 635 के निकटतम वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.

871, पी.एफ. 872 स्थित है। आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव जोन स्थित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–हाहालद्दी) का रकबा 86 हेक्टेयर है। अतः यह खदान बी–1 श्रेणी की है। यह प्रकरण क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन (मुख्य खनिज) एलीग विथ क्रशर एण्ड स्क्रीन प्लान क्षमता – 0.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं न्यू आयरन ओर बेनिफिसिएशन (ड्राई/वेट) क्षमता – 0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष का है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल बेनीफिशिऐशन हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iii. Project proponent shall submit Environment Management Plan.

   iv. Project proponent shall submit the noc from gram panchyat for installation of crusher in the lease area.

   v. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

   vi. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

   vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

   viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

   xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

ii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station, depicted on Topo Sheet of Survey of India.

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

11. मेसर्स एनकेजे बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, एनएच–30, ग्राम–कुथवारा एवं रामेपुर, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1525)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 59825/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 258587/2022, दिनांक 25/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–रामेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–कुथवारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97.125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन [एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु]

के स्थान पर न्यू मोलासेस / ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के विनियोग की कुल लागत 141.28 करोड़ होगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1354/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./इन्ड./1525 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स एनकेजे बॉयोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–रामहेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–बुधवारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97,125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश गौतम, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न संशोधन चाहा गया है:–

EC Reference	Existing	Amendment	Justification
Point 6. Raw Material (Page No. 3)	Molasses-C: 297 TPD Or Molasses-B heavy: 258 TPD Or Syrup (40-50° Brix): 315 TPD **Source:** From BSSUKM sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and other vendors in raw material also involved N,P – 120 kg/day turkey red oil (TRO) – 400 Kg/D	Molasses-C: 297 TPD Or Molasses-B heavy: 258 TPD Or Syrup (40-50° Brix): 315 TPD **Source:** From BSSUKM sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and other vendors Or Grains (Broken rice/ FCI rice), Maize, Sorghum: 190 TPD Source: Nearby open market in raw material also involved N, P – 120 kg/day & turkey red oil (TRO) – 400 Kg/D. In case of grain additional raw material Amylase 60 kg/day and Amyl glucosidase 90 kg/day involved.	In case of less/unavailability of Raw material (Molasses-C \B-heavy \ Syrup) from the BSSUKM and nearby sugar mills, the distillery will be operated on waste grains as feedstock. Distillery unit will install all the necessary arrangements to achieve Zero liquid discharge (ZLD)
III. Water Quality	Raw spent wash generation from	Raw spent wash generation from	a) For molasses based process: Due

Monitoring and Preservation, point- vi	molasses-based distillery shall not exceed 08 liter per liter of alcohol produce. The concentrated spent wash generated from Multi-effect Evaporator shall be burnt in incinerator boiler Spent lees and process condensate shall be treated in effluent treatment plant (equalization tank, neutralization tank primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultrafiltration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process Domestic waste water shall be treated in Sewage Treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection.	distillery shall not exceed 08 liter per liter of alcohol produce. a) In case of molasses/syrup based process: The spent wash generated from distillery unit shall treated in bio-methanation unit followed by Multieffect Evaporator followed by making of spent wash powder in spray dryer. b) In case of Grain based process: Slop/spent wash generated in process shall be treated through decantation followed by multiple effect evaporation (MEE) followed by Drying – converting to Cattle feed c) Other low strength effluent: Spent lees and process condensate shall be treated in effluent treatment plant (equalization tank, neutralization tank primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultra-filtration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process. d) Sewage: Domestic waste water shall be treated in sewage treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection.	to change in ZLD scheme (biomethanation followed by evaporation followed by dryer system). Biogas will be generated from effluent, which will reduce the fuel requirement of distillery or it will be converted in CBG (compressed bio gas which is a substitute to LPG). Distillery spent wash will be converted to powder form in spray dryer. SW powder is rich in potassium, nitrogen, phosphorus etc., therefore it is good for soil enrichment. SW powder contents 12-18% of potash, therefore, it will be sold to fertilizer manufacturing unit. b) For grain-based distillery: In case of less/unavailability of raw material (Molasses C heavy/ B heavy/ Syrup) from the BSSUKM and nearby sugar mills, the distillery will be operated on waste grains as feedstock, in this case to achieve ZLD Slop/spent-wash generated in process shall treated through decantation followed by multiple effect evaporation (MEE) followed by drying - converting to cattle feed.

2. जल एवं वायु सम्मति – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मोलासेस/शुगरकेन जूस/सिरप बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनील) / रेक्टिफाईड स्प्रिट /

एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) तथा कैप्टिव पॉवर जनरेशन (थ्रू इंसीनरेशन बॉयलर) क्षमता – 3 मेगावॉट हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 09/03/2022 को जारी की गई है।

3. जल प्रबंधन व्यवस्था –

Description	C-Heavy (m^3/day)	B-Heavy (m^3/day)	Synup (m^3/day)	Grain (m^3/day)
Water Input				
Process water for fermentation & CO_2 Scrubber	700	686.5	432	500
Boiler feed water @24 TPH (capacity 30 MT/Hr)	577.5	483.5	400	550
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	100
For cooling towers makeup water	602	520	274	445
Other domestic usage	10	10	10	10
Daily utilize washing & others	86.5	158.5	94	80
Total water Input at Start-up	**2,076**	**1,958.5**	**1,310**	**1,685**
Water Output				
Spent lees (PR & Rect.)	120	120	120	120
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	100
Exhaust condensate	550	460.5	380	480
Process condensate	480	534	216	383
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	122
Total Water Output	**1,350**	**1,314.5**	**916**	**1,205**
Water loss				
CT Evaporation & drift losses	602	520	274	445
Domestic consumption losses	10	10	10	10
Boiler blow down & steam loss (to CPU)	27.5	23	20	20
Daily washing & others (Sent to CPU)	86.5	91	90	90
Total Water Loss	**726**	**644**	**394**	**565**
Recycle Streams				
Less recycle for RS dilution (after CPU)	120	120	120	120
Process condensate (after CPU)	547.55	534	216	383
Steam condensate recycled to boiler	550	460.5	380	480
Soft water for vacuum pump & others cooling water	100	100	100	100
Other effluent like boiler blow down, flower washing & WTP reject	133	185.5	114	122
Total recycling / re-utilization of water per day	**1,450.55**	**1,399.5**	**930**	**1,205**
Total Daily water requirement / input	**625**	**586**	**380**	**480**

4. फ्रेश वॉटर एवं स्पेंट वॉश अपवहन व्यवस्था –

Raw Material	C-Heavy	B-Heavy	Syrup	Grain
Total Daily water requirement / input (m^3/day)	625	586	380	480
The fresh water requirement per lit of Alcohol including domestic water	7.81 lit/ lit of RS	7.32 lit/ lit of RS	4.75 lit/ lit of RS	6.0 lit/ lit of RS
Concentrated spent wash dry at spray dryer (m^3/day)	92.44 Sold as fertilizer	70 Sold as fertilizer	24 Sold as fertilizer	42.6 Sold as cattle feed
Water Balance has been revised for amendment, minimum water requirement is 4.75 lit/ lit of RS and maximum water requirement is 7.81 lit/ lit of RS. # The water requirement is reduced and it is below 8 lit/ lit of RS.				

5. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Waste	Quantity	Disposal	Remark
Yeast Sludge	25-27 TPA	Used as soil enriching material	Organic
Cattle feed	42.6 TPD	Will be used as Cattle feed	Organic
Boiler ash	53.225 TPD	Sold to brick manufacturing units	Inorganic
Distillery Condensate Polishing Unit (CPU) Sludge	38-42 TPA	Mixed with soil	Organic/ Inorganic
Spent wash Powder	43.78 TPD	Given to fertilizer manufacturing units	Organic/ Inorganic
DG set spent oil	1-1.5 KL/annum	Will be given to authorised recycler	HW (cat 5.1)
Due to Changed scheme of ZLD, spent wash will be converted into powder, and sold to fertilizer manufacturing unit when grains are used as feedstock slop/spent wash will be converted into dry powder through dryer and ot is used as cattle feed.			

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – 01 नग फ्लुडाईज्ड बेड कम्बशन बॉयलर क्षमता 30 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। फ्युल हेण्डलिंग हेतु मेकेनाईज्ड विधि के साथ क्लोज्ड कन्वेयर बेल्ट लगाया जाना प्रस्तावित है। कोल स्टोरेज एरिया / यार्ड में कवर्ड शेड बनाया जाना प्रस्तावित है। कोल हेण्डलिंग क्षमता 7 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। मेकेनाईज्ड फ्युल हेण्डलिंग सिस्टम, लोडिंग / अनलोडिंग में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था की जावेगी। स्पेंटवाश लगभग 198.4 टन प्रतिदिन (160 घनमीटर प्रतिदिन), **कोयला लगभग 152 टन प्रतिदिन / बगास लगभग 245 टन प्रतिदिन** का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। यदि बगास किसी कारणवश प्राप्त नहीं होने पर कोयला / राईस हस्क का उपयोग किया जाएगा। पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन नियंत्रण हेतु बॉयलर में ई.एस. पी. की स्थापना एवं चिमनी की ऊंचाई 67 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। किण्वन (Fermentation) इकाई में कार्बन डाईआक्साईड स्क्रबर लगाया जाना प्रस्तावित है। जनित स्पेंटवाश को इंसीनरेटर में जलाया न जाकर स्प्रे–ड्रॉयर के माध्यम से स्पेंटवाश पाउडर में परिवर्तन कर खाद इकाई को प्रदाय किया जाना

प्रस्तावित है। जनित फ्लाई ऐश, रॉ–मटेरियल को ढके हुये वाहनों से परिवहन तथा फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी में ऑनलाईन कंटिन्युअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

7. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – संशोधन उपरांत 1.88 मेगावॉट के स्थान पर 3.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति हेतु 30 टन प्रतिघंटा क्षमता के बॉयलर से प्राप्त हाई प्रेसर स्टीम का उपयोग 03 मेगावाट क्षमता के स्थान पर 3.2 मेगावाट क्षमता के टर्बो जनरेटर से विद्युत उत्पन्न की जाएगी। टर्बो जनरेटर से प्राप्त लो प्रेशर स्टीम को डिस्टलरी इकाई में विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग डीजी सेट (1,000 केव्हीए एवं 500 केव्हीए) की स्थापना की जाएगी। समिति का मत है कि प्रस्तावित डी.जी. सेट की संख्या, क्षमता की जानकारी एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना आवश्यक है।

8. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि मोलासेस/ग्रेन बेस्ड आधारित डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना के संबंध में भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

- भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/08/2018 में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है:–

  "देश में जल ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए:** बी–शीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में बायोमास, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मकई के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि)**, शक्कर युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, चारा इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, आधिक्य के समय अनाज के कण। शैवाल युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है।"

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है:–

  "(क) इस अनुसूची की मद 5(छ क) में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय;

  (ख) परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक शपथ–पत्र के रूप में स्व–प्रमाणन के अनुसार, पूर्ण रूप से केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु विद्यमान इकाई के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्राप्त कर चुकी चीनी विनिर्माण इकाइयों या एथनॉल के उत्पादन के लिए आसवनियों के विस्तार का श्रेणी "सी2" परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।

  परंतु यह कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस संवितरण व्यवस्था के अनुसार प्रदान की गई पर्यावरण स्वीकृति के आधार पर उत्पादित एथनॉल

का उपयोग पूर्ण रूप से ईबीपी कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा रहा है या एथनॉल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है या उक्त आसवनी उन अपेक्षाओं, जिनके आधार पर परियोजना का श्रेणी ख 2 परियोजना के रूप में मूल्यांकन किया गया है, को पूरा नहीं कर रही है तो पर्यावरण स्वीकृति को निरस्त माना जाएगा।"

उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक है।

9. परियोजना के विनियोग की कुल लागत 141.28 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग के विभिन्न इकाईयों सहित 40 प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग का लैण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत तथा प्रस्तावित संशोधन से विनियोग की लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित संशोधन अनुसार भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जल ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए:** बी–शीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में बायोमास, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मकई के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि),** शक्कर युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, चारा इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, आधिक्य के समय अनाज के कण। शैवाल युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 के अनुसार केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/06/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:-

1. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग के विभिन्न इकाईयों सहित 40 प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान की प्रस्तुत प्रति पठनीय नहीं है।
2. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग का लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

वर्तमान में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)
1.	Fermentation + Distillation + MSDH + MEE+ Spirit Storage	8,970
2.	Ethanol storage Area	3,473
3.	Molasses Storage Tank Area	6,821
4.	Boiler and Power Plant Area	8,200
5.	Waste Water Treatment (CPU + Lagoon + STP)	5,000
6.	ADM Building + Tempal + Guest House+ Utility Building	2,450
7.	Internal & Entrance Road	17,400
8.	Open Area including Parking Space	2,000
9.	Greenbit Area (41%)	39,246
10.	Opne Plot	3,565
	Total Area	**97,125**

प्रस्तावित संशोधन उपरांत लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)
1.	Internal & Entrance Road	10,480
2.	Boiler and Power Plant Area	6,846
3.	Waste Water Treatment (CPU + Lagoon + STP + Bimethanation Unit)	4,977
4.	Ethanol storage Area	3,460
5.	Molasses and Grain Storage Area	11,290
6.	Fermentation + Distillation + MSDH + MEE+ Spirit Storage + Milling and liquifaction Unit	7,365
7.	ADM Building + Tempal + Guest House+ Utility Building	2,428
8.	Open Area including Parking Space	1,986

9.	Open Space for Future Expansion	4,692
10.	Open Space for Future Expansion (Nr. Molasses Storage Tank)	4,355
11.	Greenbilt Area (41%)	39,246
	Total Area	**97,125**

4. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत तथा प्रस्तावित संशोधन से विनियोग की लागत का ब्रेक–अप –

S.No.	Particular	Previous Amount (In Lakh)	New (Revised) Amount (In Lakh)
1.	Land development	15.00	15.00
2.	Buiing and Civil work	2253.80	2253.80
3.	Plant and Machinery including taxes and duties	9147.36	10605.18
4.	Miscellaneous fixed assets	212.40	212.40
5.	Preliminary and per-operative expences	483.59	483.59
6.	Machinery stores/spares	15.00	15.00
7.	Contigencies @3%	193.24	193.24
8.	Margin money	200.00	200.00
9.	Additional provision for environmental management, green belt and rain water harvesting etc.	150.00	150.00
	Total	**12670.39**	**14128.21**

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी में पूर्व जारी पर्यावरण स्वकृति के प्रक्रिया अनुसार सी–मोलासेस के परिवहन हेतु 14 टैंकर प्रतिदिन से 18 टैंकर प्रतिदिन एवं बी–हेवी मोलासेस के परिवहन हेतु 12 टैंकर प्रतिदिन से 16 टैंकर प्रतिदिन की आवश्यकता होती। प्रस्तावित संशोधन अनुसार अधिकतम 10 ट्रक प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। उक्त अनुसार प्रस्तावित संशोधन उपरांत 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत भारी वाहनों में कमी होगी।

6. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जल ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए: बी–शीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में बायोमास, कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मकई के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि),** शक्कर युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, चारा इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, आधिक्य के समय अनाज के कण। शैवाल युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी में लेख किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना

दिनांक 16/06/2021 में "केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु विद्यमान इकाई के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त कर चुकि चीनी विनिर्माण इकाईयों या एथनॉल के उत्पादन के लिए आसवनियों के विस्तार का श्रेणी "ख2" परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा" का उल्लेख है, किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) का मूल्यांकन श्रेणी "ख1" परियोजनाओं के रूप में किया गया है। अतः केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु लागत में हुई वृद्धि को शामिल करते हुए कुल राशि 2.62 करोड़ रूपए को सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्पादन का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना स्थापना उपरांत उद्योग के कुल क्षेत्रफल के 41 प्रतिशत में वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्लान केएमएल फाईल सहित प्रस्तुत की जाए।

2. वर्तमान एवं प्रस्तावित क्रियाकलाप उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जल ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए:** बी-शीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में बायोमास, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मकई के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि),** शक्कर युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, चारा इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, अधिक्य के समय अनाज के कण। शैवाल युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र के रूप में **undertaking** प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.62 करोड़ को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु लागत में हुई वृद्धि को शामिल करते हुए कुल राशि 2.62 करोड़ रूपए को सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/11/2022 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना स्थापना उपरांत उद्योग के कुल क्षेत्रफल के 41 प्रतिशत में वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्लान केएमएल फाईल सहित प्रस्तुत की गई है।
2. वर्तमान एवं प्रस्तावित क्रियाकलाप उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/08/2018 के अनुसार देश में जल ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए:** बी–शीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में बायोमास, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मकई के कोष, सब्जी का बुरादा, खोई इत्यादि)**, शक्कर युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, चारा इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, आधिक्य के समय अनाज के कन। शैवाल युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के रूप में **undertaking** प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शपथ पत्र **(Notarized undertaking)** प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत लागत में हुई वृद्धि को शामिल करते हुए कुल राशि 2.62 करोड़ रूपए को सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के रूप में **undertaking** प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.62 करोड़ रूपए को ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किया गया है, अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं प्रस्तावित क्रियाकलाप उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.62 करोड़ रूपए को ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किया गया है, अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रदूषण भार के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को प्रस्तुत जानकारी में केवल प्रस्तावित संशोधन हेतु जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार प्रदूषण भार एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत तुलनात्मक गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.62 करोड़ रुपए को ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने प्रस्ताव जमा किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय मंडल प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, कवर्धा परियोजना मंडल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/वनिनि/2022–23/मा.वि./2143 कवर्धा, दिनांक 02/01/2023 द्वारा क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर को ईको पार्क स्थापित करने हेतु संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति बाबत् पत्र प्रेषित की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.62 करोड़ रुपए ईको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार प्रदूषण भार एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत तुलनात्मक गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.62 करोड़ रुपए ईको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा 5.21 ग्राम/सेकण्ड एवं सल्फर डाईआक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 24.78 ग्राम/सेकण्ड होती। प्रस्तावित संशोधन

उपरांत पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा 4.93 ग्राम/सेकण्ड एवं सल्फर डाईआक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 7.327 ग्राम/सेकण्ड होगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सी.ई.आर के तहत् राशि 2.62 करोड़ रुपए ईको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दिनांक 21/03/2023 को पत्र लेख किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. **मेसर्स एनर्केजे बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड**, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–रामेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–कुमवारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97,125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) **के स्थान पर** न्यू मोलासेस /ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने की अनुशंसा की गई।

2. सी.ई.आर के तहत् राशि 2.62 करोड़ रुपए से कलेक्टर कबीरधाम द्वारा आंवटित भूमि पर ईको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर से विस्तृत प्रस्ताव (DPR) की स्वीकृति को प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स एनर्केजे बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit the Detailed Project Report (approved from Chhattisgarh Forest Development Corporation Limited) for Eco Park development within 06 months on the land allotted by Collector Kabirdham for an amount of Rs 2.62 crore under CER (Corporate Environmental Responsibility)."

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081बी)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 27/12/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 19/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंकर ज्ञानचंदानी, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्रीमती पूनम मंगलम एवं श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर टी.ओ.आर. जारी किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का हस्तांतरण मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1896/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2020 द्वारा उत्खनिपट्टा के अंतरण अनुमति बाबत् पत्र जारी किया गया है।

   साथ ही संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3602/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 05/2019(2) नया रायपुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा माडिफाईड क्वारी प्लान (क्वॉरी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) को भी **मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.–**

श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु समिति के समक्ष अनुरोध किया गया।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

3. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर, क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2007	–	2014	1,525
2008	555	2015	10,177
2009	516	2016	20,246
2010	276	2017	6,324
2011	3,715	2018	19,895
2012	662	2019	12,249
2013	1,702		

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 07/09/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, विथ क्वॉरी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनि, प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/तीन–6/ख.लि./2016/534 रायपुर,

दिनांक 01/03/2018 द्वारा (मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर) अनुमोदित है। तत्पश्चात् माडिफाईड क्वारी प्लान (क्वॉरी कम इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3602/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा (मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर) अनुमोदित है।

6. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.818 हेक्टेयर है।

7. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे एवं अन्य कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

8. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज श्री प्रशांत बोहरा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 31/07/2020 को श्री शंकरलाल ज्ञानचंदानी के नाम पर किया गया है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/12/2007 से 14/12/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का नवीनीकरण 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/12/2012 से 14/12/2017 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 15/12/2017 से 23/12/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि/4230 खैरागढ़, दिनांक 13/09/2007 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 550 मीटर एवं अस्पताल बल्देवपुर 1.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तालाब 2.2 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 9,71,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,23,137 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,20,682 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,769 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट

सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,000 घनमीटर है, इस ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,500	षष्टम	12,500
द्वितीय	12,500	सप्तम	12,500
तृतीय	12,500	अष्टम	12,500
चतुर्थ	12,500	नवम	12,500
पंचम	12,500	दशम	12,500

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 950 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,17,400 रूपये, खाद के लिए राशि 7,140 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,13,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,56,740 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,88,560 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,769 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 243 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 247.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिण दिशा में 645 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

> "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	26.10	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	9.03	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.01 to 0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–**

i. खदान में ब्लास्टिंग से पत्थर दूर खेतों में जाकर गिरते है एवं मकानों में दरार आ चुका है। हैवी ब्लास्टिंग होने से पास के स्कूल में सूचना देने के लिए मुंशी आते है एवं नजदीक स्थित क्रशर को बंद किया जाना चाहिए।

ii. खदान अत्यधिक गहरा हो चुका है। गर्मी के दिनों में 5–7 जानवर गिर चुके है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों ओर फेन्सिंग किया जाना चाहिए।

iii. गांव कलकसा से बलदेवपुर जाने वाली सड़क बहुत जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों को स्कूल आने–जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुभवी कॉन्ट्रेक्टर की निगरानी में कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा।

ii. खदान के चारों ओर कंटीले तारों से फेंसिंग किया जाएगा, जिससे गांव के मवेशी खदान के अंदर नहीं जा पायेंगे।

iii. खदान से निकलने वाले वाहनों के कारण जो सड़क में गड्ढे हो गये है, उसकी समय–समय में मरम्मत की जाएगी।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,340	4,940	4,940	4,940	4,940
	फेंसिंग हेतु राशि	34,76,700	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		**41,20,112**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**

कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
300 मीटर मार्ग के दोनों तरफ	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,000	400	400	400	400

(200 नग) वृक्षारोपण हेतु	फेंसिंग हेतु राशि	2,96,000	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		5,02,700	1,68,870	1,68,870	1,68,870	1,68,870

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van	10.78
			Total	10.78

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 980 नग पौधों के लिए राशि 19,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 87,500 रूपये, खाद के लिए राशि 7,350 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,41,680 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,36,130 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,89,112 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 1.22 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 10 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मॉडिफाईड माईनिंग प्लान में 30 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख होना पाया गया है। उक्त कारणों से रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

26. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन के विवरण की जानकारी में वर्षवार उत्खनन का इकाई घनमीटर में है, जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति में क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति तक उत्खनित खनिज की मात्रा खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान दिनांक 05/07/2021 अनुसार चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चूना पत्थर उत्खनन क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष हेतु ही विचार किया जाएगा।
2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/ख.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 द्वारा उत्पादन आंकड़ों की जानकारी में टन के स्थान पर घनमीटर का उल्लेख हो गया था। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1340/ख.नि. 02/2022 राजनांदगांव,

दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2007–08	30	2015–16	14,279
2008–09	841	2016–17	14,489
2009–10	288	2017–18	6,324
2010–11	2,768	2018–19	19,895
2011–12	1,387	2019–20	10,599
2012–13	1,435	2020–21	3,200
2013–14	1,720	2021–22	6,230
2014–15	2,020		

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 28/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों को करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही

किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan** को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

(Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि हमारे द्वारा अवैध उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। उत्खनन का कार्य खनिज विभाग से अनुमति तथा रॉयल्टी जमा करके ही खनन कार्य किया गया है तथा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना नहीं की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/08/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण **Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan** को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि की वास्तविक गणना करने हेतु जुलाई 2020 से अब तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(द) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) को मिलाकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 14.171 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 के परिपेक्ष्य में चाही गई वांछित जानकारियों/ दस्तावेजों/ अभिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) को ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर, क्षमता–12,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 के परिपेक्ष्य में चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में समाधानात्मक कार्यवाही करते हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत

जानकारी / दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42860 / 2019, दिनांक 18 / 10 / 2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42860 / 2019, दिनांक 09 / 03 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक – 106 / 2 एवं 3, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06 / 05 / 2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 06 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29 / 06 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनिंदर सिंह गरचा, प्रोपराईटर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 106/2 एवं 106/3, कुल क्षेत्रफल–0.606 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1341/खनि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
अगस्त 2009 से दिसंबर 2009	551	जनवरी 2017 से दिसंबर 2017	570
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010	2,067	जनवरी 2018 से दिसंबर 2018	649
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011	2,130	जनवरी 2019 से दिसंबर 2019	1,339
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012	1,860	जनवरी 2020 से जून 2020	7,700
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013	6,050	जुलाई 2020 से दिसंबर 2020	निल
जनवरी 2014 से अगस्त 2014	17,600	जनवरी 2021 से जून 2021	625
सितंबर 2014 से सितंबर 2016	निरंक	जुलाई 2021 से दिसंबर 2021	निरंक
अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016	150	जनवरी 2022 से मार्च 2022	3,800

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

vi. समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो 10 वर्ष हेतु जारी की गई थी। अतः समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना अथवा स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो कि संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 843/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1342/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.318 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री मनिंदर सिंह गरचा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10–2/2019/13198 राजनांदगांव, दिनांक 24/12/2019 से जारी अनापत्ति

प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम चवेली का उल्लेख है। अतः ग्राम डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तेलकाडीह 1.2 कि.मी. , स्कूल ग्राम–तेलकाडीह 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल तेलकाडीह 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.6 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,64,800 टन, माईनेबल रिजर्व 1,18,822 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 81,583 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,540 घनमीटर है, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,500	षष्टम	8,500
द्वितीय	8,500	सप्तम	8,500
तृतीय	8,500	अष्टम	8,500
चतुर्थ	8,500	नवम	8,500
पंचम	8,500	दशम	8,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 328 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के	वृक्षारोपण (90	24,928	2,508	2,508	2,508	2,508

बाउन्ड्री में (328 नग) वृक्षारोपण हेतु	प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि					
	फेंसिंग हेतु राशि	41,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	2,460	240	240	240	240
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,46,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 11,89,380		3,14,388	2,18,748	2,18,748	2,18,748	2,18,748

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिशा में 130 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक, पश्चिमी दिशा में 630 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिशा में 130.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिशा में 472.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आव"यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आव"यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	21.39	40.45	60
PM_{10}	42.65	65.33	100
SO_2	5.09	9.87	80
NO_2	9.48	15.95	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	43.2	61.1	75
Night L_{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम – डुमरडीहकला, तहसील व जिला – राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 17 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रुप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–**

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। गांव में मवेशियों के लिये चारा नहीं बचता है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ जाती है। ब्लास्टिंग के समय घरेलु में चलना दुर्भर होता है, ब्लास्टिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों को जरूरत की सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाती है। क्रशर सड़क से लगा हुआ है, उसके चलने के कारण कई एक्सीडेंट हो चुके है, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

iv. गांव के पास शासकीय भूमि का अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है। वृक्षारोपण तथा जल छिड़काव का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी नहीं होगी।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

iv. माईनिंग प्लान के अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खदान के बाउण्ड्री तथा हॉल रोड में वृक्षारोपण का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। वृक्षारोपण एवं धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
4.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (3,133 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,38,108	23,788	23,788	23,788	23,788
	फेंसिंग हेतु राशि	25,06,400	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	16,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000
कुल राशि = 88,78,660		**44,51,508**	**11,06,788**	**11,06,788**	**11,06,788**	**11,06,788**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
123 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (82 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	6,232	608	608	608	608
	फेंसिंग हेतु राशि	65,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	600	60	60	60	60
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	32,745	27,745	27,745	27,745	27,745
कुल राशि = 2,18,829		1,05,177	28,413	28,413	28,413	28,413

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की जिलीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः 17 खदानें ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से सी.ई.आर. के अंतर्गत (1) गांव के पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण (2) 'मषान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण (3) बड़े तालाब पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण कार्य किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (क्रमशः खसरा क्रमांक 802, 818/2, 804, क्षेत्रफल 0.635 हेक्टेयर, 0.324 हेक्टेयर, 0.267 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा सी.ई.आर. के अंतर्गत 17 खदानों हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

(1) टेलकाडीह सरहद से ग्राम डुमरडीकला के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ (कुल लम्बाई 1.4 कि.मी.) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के

लिए 76,000 राशि रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,99,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,97,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(2) शमशान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी (क्षेत्रफल 3,240 वर्गमीटर) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 72 नग पौधों के लिए राशि 8,352 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 67,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,980 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,23,332 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,68,180 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(3) बड़े तालाब (क्षेत्रफल 9,020 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,350 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,69,740 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.5	Following activities at nearby, Village-Dumardihkala	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	11.91
			Total	11.91

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्यों में से सी.ई.आर. के अंतर्गत बड़े तालाब (क्षेत्रफल 7,500 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 37,477 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,31,827 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 95,648 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी

उल्लेख किया जावे कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाए।
9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

12. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

13. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 426वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह पूर्व से संचालित खदान है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्ति के पश्चात् खनिज विभाग के आदेशानुसार ही खनन कार्य किया गया है।

   समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "**The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021**" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई

दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:-

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 22/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र

स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्रं. 10–2/2019/5095 राजनांदगांव, दिनांक 04/07/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

6. लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 343, रकबा 0.518 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. पूर्व में किये गए वृक्षारोपण की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गए है। पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण नहीं किया गया है साथ ही इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्रारंभ होने उपरांत पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाएगा।

9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

12. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब अनुसार कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. **Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan** को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (**Environment Compensation**) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (**Annual Report**) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

5. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए **Environment Compensation** की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (**Numbering**) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता,

सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) को मिलाकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 41.696 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारियों/ दस्तावेजों/ अभिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा) की ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 106/2 एवं 3 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर, क्षमता–8,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। **प्राधिकरण द्वारा उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में समाधानाकारक

कार्यवाही करते हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री राजेश जैन), ग्राम–बरमपुर, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1320)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 298244/2023, दिनांक 02/03/2023। मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री विजय कुमार जैन), निवासी – वार्ड नम्बर 30, बड़ा बाजार, पोस्ट–चिरमिरी, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री राजेश जैन), निवासी – बड़ा बाजार, तहसील–चिरमिरी, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–बरमपुर, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 340, कुल लीज क्षेत्र 2.8 हेक्टेयर, साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–31,175 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1316, दिनांक 29/10/2020 द्वारा ग्राम–बरमपुर, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 340, कुल लीज क्षेत्र 2.8 हेक्टेयर, साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–31,175 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री विजय कुमार जैन) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 46, दिनांक 03/01/2023 द्वारा " मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर प्रो. विजय कुमार जैन आ. स्व. मूलचन्द जैन निवासी बड़ा बाजार चिरमिरी, थाना–तहसील–चिरमिरी को ग्राम बरमपुर तह. खड़गवा में खनिज साधारण पत्थर (क्रशर) उत्खनि पट्टा हेतु निजी भूमि ख.नं. 340 रकबा 2.80 हे. क्षेत्र पर अवधि 04.09.2010 से 03.09.2040 तक 30 वर्षों के लिए स्वीकृत, उत्खनिपट्टा को श्री राजेश कुमार जैन आ. श्री विजय कुमार जैन निवासी बड़ा बाजार चिरमिरी को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 56 (1) के तहत् खनिज–साधारण

पत्थर (क्रशर) उत्खनि पट्टा हेतु शेष अवधि के लिये अंतरण किया जाता है।" हेतु आदेश जारी किया गया है।

4. मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री विजय कुमार जैन) द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री राजेश जैन) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि:–**

1. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष में) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री विजय कुमार जैन) द्वारा उनको पूर्व में जारी माईनिंग प्लान को मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री राजेश जैन) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/05/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 81/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 18/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
29/10/2020 से 31/03/2021	2,390
2021–22	8,070
2022–23	2,100

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 93/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 26/05/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार "मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर प्रो.– श्री विजय कुमार जैन के नाम से अनुमोदित उत्खनन योजना को शेष अवधि के लिए श्री राजेश कुमार जैन के नाम हस्तांतरित किया जाए" का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय किया गया** कि मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री विजय कुमार जैन), निवासी – वार्ड नम्बर 30, बड़ा बाजार, पोस्ट–चिरमिरी,

तहसील–खडगवां, जिला–कोरिया को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री राजेश जैन), निवासी – बड़ा बाजार, तहसील–चिरमिरी, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार खदानें कार्य यथावत् जारी रखे जाने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत्।**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/06/2023 के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"The representation received from Khaddan Union, District-Rajnandgaon, Chhattisgarh regarding drawing attention and justified cooperation for the loss of economic and revenue due to unnecessary delay by explaining the rules separately in the application submitted by the Environmental Committee (SEAC-CG) for environmental approval on the subject mentioned above. It is kindly requested to refer the representation and provide the status report for further necessary action."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 180वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 **एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से "Applications received for compliance certification of the non-coal mining projects for which EC accorded by the DEIAA/SEIAA in the State of Chhattisgarh-regarding." के संबंध में विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत्।**

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 15/06/2023 द्वारा Applications received for compliance certification of the non-coal mining projects for which EC accorded by the DEIAA/SEIAA in the State of Chhattisgarh-regarding. के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"It was informed that validity of the ECs were already expired for the 109 applications received in this Office from the project authorities / SEIAA-Chhattisgarh seeking compliance certification for the projects, which are accorded EC by DEIAAS / SEIAA-Chhattisgarh. Subsequently, received 39 applications in this Office seeking compliance certification and the validity of the EC for those projects also already expired. In most of the cases, SEIAA, Chhattisgarh has expressly communicated that the validity of the EC has already been expired. A consolidated list of projects / applications received so far in this office for compliance certification.

It is reiterated that as per the existing guidelines, compliance certification is issued by this Office for the projects having valid EC in the event of expansion of project or activity. In the absence of valid EC, issuing compliance certification on the stipulated conditions of the already expired EC would tantamount to contravention of the EIA Notification, 2006. Further, neither copy of the EC nor six monthly compliance reports of the projects have been received in this Office.

In view of the above, it is requested that SEIAA-Chhattisgarh may look into the matter and take appropriate action. Further, it is requested that for the valid ECS, at the time of issuance of expansion TOR, SEIAA-Chhattisgarh shall endorse a copy of the TOR to this IRO as stipulated in the O.M. dated 08/06/2022 of MoEF&CC, New Delhi to enable us to take further necessary action."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरुण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़